baths and latrines and widening and paving of lanes are provided in urban slums. Specific schemes of slum improvements are formulated and implemented by the State Governments in accordance with their needs and priorities.

(c) Under the EIUS Scheme, the Government has fixed Rs. 525/- as per capita expenditure w.e.f. 1-4-1991.

Statement

Name of Town	Total population (1981) (Population in lakhs)	Identified slum population (1981) (population in lakhs)	%age of Identified slum population to Total population
Vadodara	7.45	1.182	15.8
Surat	9.14	2.334	25.4
Ahmedabad	25.48	5.363	21.0
Anand	0.83	0.080	9.5
Kheda	0.19	Not Available	.

संपदा निदेशालय के विरुद्ध अदालती मामले

1710. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संपदा निदेशालय के सम्पदा अधिकार के निर्णय के विरुद्ध न्यायालयों में कितनी अपीलें की गई ;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सम्पदा अधिकारी के निर्णय को गलत पाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने गलत निर्णय लेने वाले सम्पदा अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) 716

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) गलत निर्णय लेने वाले सम्पदा अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है। सम्पदा अधिकारी लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3(क) के अन्तर्गत नियुक्त किये जाते हैं और उन्हें उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों तथा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न नियमों के अधीन कार्य करना होता है तथापि, सम्पदा अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील की जा सकती है।

Land to Sadhu Vaswani Missdon in Shantiniketan

1711. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the rate and the total area of land allotted to the Sadhu Vaswani Mission in Shantiniketan Colony of Government Servants Co-operative House Building Society Limited, New Delhi for school building, the plot originally earmarked for Primary School but later on raised to Senior Secondary School, Nursery School, dispensary and playground alongwith the coverage allowed;

(b) whether this school is adding storeys after storeys in their existing multi storeyed building and if so, whether the approval of the Urban Arts Commission

and Municipal Corporation of Delhi has been obtained; and

(c) whether any separate water feeder line has been provided to this school for fire-fighting and drinking purposes, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू स्मारक कोष स्थापित किया जाना

1712. **श्रीमती सरला माहेश्वरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू स्मारक कोष का कार्यालय तीन मूर्ति भवन में स्थित है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) किसने और किस आधार पर उन्हें वहां कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिये जाएगें।

तीनमूर्ति भवन, दिल्ली में नेहरू तारा-मंडल

1713. **श्रीमती सरला माहेश्वरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन मूर्ति भवन में नेहरू तारामण्डल को किन शर्तों पर स्थान दिया गया था ;

(ख) क्या इसे बेचा गया था ; यदि हां तो कितने दाम पर ;

(ग) नेहरू तारामण्डल को वह स्थान किसने आवंटित किया और उसके क्या कारण थे ;

(घ) क्या उस प्राधिकारी को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए वैध अधिकार प्राप्त थे ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में बहुमूल्य रत्नों का दोहन

1714. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के देवभोग और गरियाबंद विकास खंड में हीरा, कोरेंडम और अलेक्जेंडर नामक मूल्यवान रत्न बहुतायत में उपलब्ध हैं तथा निजी व्यापारी बड़ी संख्या में इन मूल्यवान रत्नों का दोहन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मूल्यवान रत्नों की उपलब्धता तथा खनन संबंधी संभावनाओं के बारे में सर्वेक्षण कब तक करवाया जाएगा ; और

(ग) सरकार द्वारा इन मूल्यवान रत्नों के दोहन हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बलराम सिंह यादव) : (क) मध्य प्रदेश में जिला रायपुर के देवभोग से एलेक्जेंड्राइट, गारनट, टोर्मालाइन, इमथिस्ट जैसे रत्न पत्थरों के पाय जाने की सूचना है। गरियाबंद क्षेत्र में इन खनिजों के पाये जाने कोई सूचना नहीं है। राज्य सरकार के भू-विज्ञान और खनन निदेशालय ने देवभोग क्षेत्र से अवैध खनन की सूचना दी है।